

# अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

(U/s 144 Cr. P.C.)

वाद संख्या-128/2022

प्रथम पक्ष  
सुभाष प्रधान।

-बनाम्-

द्वितीय पक्ष  
अजय प्रसाद गुप्ता उर्फ अजय  
प्रकाश गुप्ता।

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद दिव्यणी तारीख सहित												
03.09.2022	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदक/प्रथम पक्ष सुभाष प्रधान, पिता-स्व० रजनीकान्त प्रधान, निवासी, ग्राम-सोनापोस, पो०+थाना-सोनुआ, जिला-प० सिंहभूम ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दाखिल कर अजय प्रसाद गुप्ता, पिता-श्री रामचन्द्र प्रसाद गुप्ता, निवासी, ग्राम-सोनापोस, पो०+थाना-सोनुआ, जिला-प० सिंहभूम के विरुद्ध निम्नलिखित भूमि विवाद के मद्देनजर दं०प्र०सं० की धारा-144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p style="text-align: center;"><b>भूमि का विवरणी</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>प्लॉट नं०</th> <th>रकबा</th> <th>चौहद्दी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सोनापोस</td> <td>129</td> <td>24</td> <td>270</td> <td>61 फीट × 2 फीट</td> <td>पू०-प्रथम पक्ष प०-द्वितीय पक्ष उ०-रास्ता द०-रास्ता</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक/प्रथम पक्ष के आवेदन पत्र के आलोक में विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था कायम करने के निमित्त दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय में दिनांक-06.08.2022 को वाद संख्या-128/2022 प्रारंभ की गई।</p> <p>बहस के दौरान प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा वर्ष 2020 में निबंधन केवाला के माध्यम से सोनुआ अंचल अंतर्गत मौजा-सोनापोस, थाना नं०-129, खाता नं०-24, प्लॉट नं०-270, कुल रकबा-0.05 एकड़ भूमि क्रय किया गया है, जिसका नामांतरण अंचल कार्यालय, सोनुआ के नामांतरण वाद संख्या-84/2000-01 द्वारा इनके नाम से किया गया है। वर्तमान में वे उक्त भूमि पर मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहे हैं। द्वितीय पक्ष द्वारा भी उक्त खाता एवं प्लॉट से निबंधित केवाला के माध्यम से कुल रकबा-0.07 एकड़ भूमि क्रय किया गया है। उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का भी मकान बना हुआ है।</p>	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहद्दी	सोनापोस	129	24	270	61 फीट × 2 फीट	पू०-प्रथम पक्ष प०-द्वितीय पक्ष उ०-रास्ता द०-रास्ता	
मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहद्दी									
सोनापोस	129	24	270	61 फीट × 2 फीट	पू०-प्रथम पक्ष प०-द्वितीय पक्ष उ०-रास्ता द०-रास्ता									

आवेदक/प्रथम पक्ष का कहना है कि दोनों व्यक्तियों के निर्बंधित केवाला में आने-जाने के लिए 5 फीट का रास्ता छोड़ा गया है। प्रथम पक्ष का कहना है कि 5 फीट रास्ता के अतिरिक्त 2 फीट × 61 फीट भूमि निजी रास्ता एवं नाला के निर्माण हेतु इनके द्वारा छोड़ा गया है। प्रथम पक्ष का कहना है कि वर्तमान में द्वितीय पक्ष इनके द्वारा छोड़े गए अतिरिक्त भूमि 2 फीट × 61 फीट भूमि का अतिक्रमण कर हड़पना चाहते हैं। प्रथम पक्ष द्वारा आवेदन पत्र में बताया गया है कि इनके द्वारा द्वितीय पक्ष को बार-बार निर्माण कार्य रोकने हेतु अनुरोध किए जाने के बावजूद भी इनके द्वारा निर्माण कार्य को जारी रखा गया एवं मुझे धमकी भी देने लगा। प्रथम पक्ष का कहना है कि वे शांतिप्रिय व्यक्ति हैं इसलिए मैं मारपीट एवं लड़ाई-झगड़ा से दूर रहना चाहता हूँ इसलिए इस न्यायालय में दं०प्र०सं० की धारा-144 के तहत आवेदन पत्र इनके द्वारा दायर किया गया। प्रथम पक्ष द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया गया कि द्वितीय पक्ष को अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने का आदेश दिया जाय।

सुनवाई के दौरान द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आवेदक/प्रथम पक्ष द्वारा आवेदन पत्र में लगाए गए आरोपों को निराधार/बेबुनियाद बताया गया। इनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान में वे पूर्व में निर्मित मकान के ऊपर ही निर्माण कार्य कर रहे हैं। इनके द्वारा किसी प्रकार का सड़क/रास्ता का अतिक्रमण नहीं किया गया है। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि उक्त भूमि विवाद के संबंध में इस न्यायालय में दं०प्र०सं० की धारा-107 के तहत मुकदमा संख्या-76/2021 लंबित है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन अंचल अधिकारी, सोनुआ द्वारा कराया गया, सीमांकन प्रतिवेदन में किसी प्रकार का अतिक्रमण का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त के आलोक में द्वितीय पक्ष द्वारा वर्तमान मुकदमा संख्या-128/2022 के कार्यवाही को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

सुनवाई के दौरान प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया गया कि अंचल अधिकारी, सोनुआ के आदेशानुसार अंचल अमीन द्वारा प्रश्नगत भूमि का जो सीमांकन किया गया था इस सीमांकन से प्रथम पक्ष असंतुष्ट हैं। प्रथम पक्ष द्वारा इस वाद में पुनः अंचल अधिकारी, सोनुआ से मापी कराने का अनुरोध न्यायालय से किया गया। प्रथम पक्ष के अनुरोध के आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक-289/न्या०, दिनांक-13.08.2022 के माध्यम से अंचल अधिकारी, सोनुआ से प्रश्नगत भूमि का सीमांकन के पश्चात् सीमांकन/जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

अंचल अधिकारी, सोनुआ के पत्रांक-419, दिनांक-27.08.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत् है:-

आवेदक/प्रथम पक्ष सुभाष प्रधान एवं द्वितीय पक्ष श्री अजय प्रसाद गुप्ता दोनों

का मकान अगल-बगल है। दोनों की भूमि मौजा-सोनापोस, थाना नं०-129, खाता संख्या-24 के अंतर्गत खेसरा संख्या-270 में अवस्थित है। भूमि दस्तावेज के जाँच करने पर पता चलता है कि सुभाष प्रधान ने 0.05 एकड़ तथा अजय प्रसाद गुप्ता ने 0.07 एकड़ भूमि जो रैयती भूमि है, को केवाला दलील के माध्यम से खरीदी गई है। दोनों भूमि का नामांतरण होकर पंजी-11 में जमाबन्दी कायम है। दोनों की भूमि के बीच पूर्व से कोई चिन्हित सीमा या घेराबंदी नहीं है। सीमांकन प्रतिवेदन में अंचल अमीन ने स्पष्ट किया है कि सुभाष प्रधान के मकान के पश्चिमी दीवाल तरफ स्थित दीवाल को दोनों की भूमि का सीमाना बताया गया है। दोनों का एक दूसरे के तरफ भूमि सीमा की लंबाई 60.5 फीट तथा 02 फीट का चौड़ाई को लेकर विवाद है। दोनों के द्वारा उक्त भूमि (60.5 × 2 फीट) को अपना बताया जा रहा है।

स्थल जाँच में पाया गया कि सुभाष प्रधान के मकान का पश्चिमी दीवाल बिल्कुल सीधा नहीं बताया गया है, बल्कि हल्का तीरछा है। दोनों का मकान पूर्व से निर्मित है एवं अभी भी निर्माण कार्य जारी है। दोनों को भूमि के उत्तर दीशा में 5 फीट का प्रस्तावित रास्ता मिला है, जिसमें कुछ माह पूर्व ही PCC ढलाई किया गया है।

पूर्व में भी उक्त भूमि की नापी दोनों पक्ष की उपस्थिति में अंचल अमीन द्वारा की गई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने नापी प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर भी किये हैं परन्तु प्रथम पक्ष उक्त नापी से संतुष्ट नहीं है तथा नापी मानने से इंकार करते हैं। वर्तमान में भी अधोहस्ताक्षरी के निर्देश के आलोक में अंचल में कार्यरत दो अमीन के द्वारा सोनापोस पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, ग्रामीण एवं दोनों पक्षों की उपस्थिति में पुनः 24.08.2022 को नापी किया गया परन्तु नापी होने के पश्चात् प्रथम पक्ष सुभाष प्रधान के द्वारा नापी प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया गया।

प्रथम पक्ष सुभाष प्रधान का कहना है कि अजय प्रसाद गुप्ता के द्वारा प्रथम पक्ष के भूमि पर 02 फीट चौड़ा जमीन पर कब्जा किया गया है परन्तु अमीन के नापी प्रतिवेदन में इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई।

प्रथम पक्ष द्वारा सुनवाई के दौरान उक्त सीमांकन प्रतिवेदन पर भी आपत्ति की गई एवं बताया गया कि दोनों प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, सोनुआ द्वारा ही समर्पित किया गया है। एक ही विभाग द्वारा प्रश्नगत भूमि का बार-बार सीमांकन कराया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रथम पक्ष द्वारा जिला अमीन से मापी कराने का न्यायालय से अनुरोध किया गया, जिसे न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया गया एवं प्रथम पक्ष को बताया गया कि आप अंचल अधिकारी, सोनुआ के मापी प्रतिवेदन से संतुष्ट नहीं हैं तो आप अंचल अधिकारी, सोनुआ के मापी प्रतिवेदन के विरुद्ध नियमानुसार जिला अमीन से मापी कराने हेतु जिला में आवेदन पत्र दाखिल कर सकते हैं।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं अंचल अधिकारी, सोनुआ के जाँच प्रतिवेदन/सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है।

अतएव विधि-व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से न्यायालय प्रथम पक्ष को वाद भूमि पर जाने से निषेध करती है। यह आदेश तबतक प्रभावी रहेगा जबतक कि इस आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय/प्राधिकार द्वारा किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जाता है। प्रथम पक्ष द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में भा०द०सं० (I.P.C) की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

प्रथम पक्ष चाहे तो इस आदेश के विरुद्ध सक्षम न्यायालय/प्राधिकार में अपील दायर कर सकते हैं। सक्षम न्यायालय/प्राधिकार द्वारा पारित आदेश प्रभावी होगा।

अतएव इस मुकदमे की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

  
03/09/22  
अनुमण्डल पदाधिकारी  
पोडाहाट, चक्रधरपुर।